श्रम तथा रोजगार विभाग

दिनांक 19 अप्रैल, 1985

क्रमांक 10(65)-83-5 श्रम.—चूंकि हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना संख्या 10(65) 835-श्रम, दिनांक 5 मार्च, 1984 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र 20 मार्च, 1984 में प्रकाशित की गई थी और चूंकि 6 मास की अवधि व्यतीत हो चुकी है।

2. इसलिए अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा-1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित स्थापनाओं के वर्गों के बारे दिनांक 19 अप्रैल, 1985 (माध्य रात्रि दिनांक 18 अप्रैल, 1985) से उक्त अधिनियम के उपबन्धों को इसके द्वारा लागू करने के आदेश देते हैं

क्रमांक/अनुसूची	क्षेत्र जहां पर स्थापना स्थित है	
स्थापना का वर्णन	राजस्व ग्राम	हदबस्त नं०
1. कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन दस अथवा दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हों अथवा नियोजित रहे थे और जिसे किसी भी भाग में उत्पादन (मैनूफैक्चूरिंग) प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणत: शक्ति से चलाई जाती है। लेकिन खान अधिनियम 1952 के तहत खानें अथवा रेल रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड 12 में उल्लिखित किसी एक अथवा उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो।	1. रैली 2. अमैयपुर	369 370 (जिला अम्बाला)
2. कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हो अथवा नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग में उत्पादन प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है अथवा फैक्टरी साधारत: बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान अधिनियम, 1962 के तहत खानें अथवा रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड में उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक उत्पादक प्रतिक्रिया में लगी हो।	जैसा कि ऊपर कहा गया है।	
3. निम्नलिखित संस्थापनाएं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हो अथवा नियोजित रहे थे। 1. सिनेमा और पूर्व दर्शन थियेटर। 2. होटल और रेस्तरां। 3. दुकानों 4. सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं 5. श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध उपबन्ध अधिनियम 1955) की धारा 2(ब) में यथा परिभाषित समाचार पत्र स्थापनाएं।	जैसा कि ऊपर कहा गया है।	

म० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग।